

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 538 / 2025

अनवान : -

1. अजय कुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. नरेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सलोचना पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. विजय सिंह पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सुभाषचन्द्र लांज पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1. औमप्रकाश पुत्र छतुराम जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. दौलतराम पुत्र छतुराम जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. संजय पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. राजीव पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. महेश कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
7. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी एमकेगौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है -

क.वादीगण सं० 1 ता 3 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी :- चक न० 13 डीबीएल के प०न० 183/359 मु० 8 किलानं० 5/1/ 0.143 है० आराजी तथा चक न० 7 एम. जैड डबल्यू के खाता सं० 16/3 में अंकित कुल 2.530 है० आराजी

ख.वादीगण सं० 4, 5 तथा प्रतिवादीसं० 1 औमप्रकाश को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकन० 13 डीबीएल के प०न० 183/359 मु० 8 किला 9/.188 है० दक्षिणी-पूर्वी, 8/.237 दक्षिणी दिशा, 13/.253, 18/.140 पश्चिमी दिशा

ग. प्रतिवादीसं० 2 दौलतराम, प्रतिवादीसं० 3 संजय, प्रतिवादी० 4 राजीव को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकन० 8 एम. जैड डबल्यू के प०न० 182 / 375 मु० 71 किलानं० 3, 4/.063 पश्चिम दिशा, 8/253, 7/.063 पश्चिम दिशा, चकनं० 13 डीबीएल के प०न० 183 / 359 मु० 8 किलानं० 7/.247 उत्तर-पश्चिम कॉर्नर छोड़कर, 14, 17/.506 है

4/1/.127 पूर्व दिशा

घ. प्रतिवादीसं० 2 दौलतराम को प्राप्त आराजी :- चकनं० 19 एजी के प०न० 186 / 377 मु० 4 किलानं० 4,5, चकनं० 15 एजी. के प०न० 187 / 377 मु० 22 किलानं० 1,2,

प्रतिवादी सं० 5 महेश कुमार को प्राप्त आराजी: - चक नं० 19 एजी के प०न० 186/377 मु० 4 किलानं० 22, 23, 24, 25, 16 / .126 पूर्व दिशा चकनं० 8 एम.जैड.डबल्यू के प०न० 182/374 मु० 68 किलानं० 25/.253, प०न० 182/.375 मु० 71 किलानं० 5/.245 उत्तर




उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

दिशा, 4/.182 उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम छोड़कर, चकनं० 13 डीवीएल के प०न० 183/359 मु० 8 किलानं० 9/.060 पश्चिम दिशा, किला न० 12,19,22,

च. दौलतराम, महेश कुमार तथा औमप्रकाश के ब०ह०बराबर :- चक नं० 13 डीवीएल के प०न० 183 / 359 मु० 8 किलानं० 4 / 016 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण, 8/.016 उत्तर दिशा, 7/.006 उत्तर-पश्चिम कॉर्नर, 9/.005 उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम, चकनं० 8 एम. जैड डबल्यू के प०न० 182 / 375 मु० 71 किलानं० 4/.008 दक्षिण दिशा, 5/.008 दक्षिण दिशा, 6/.008 उत्तर दिशा, 7/008 है० उत्तर दिशा । इसी अनुसार चक नं० 7 एम. जैड डबल्यू के खाता सं० 16/13 में से औमप्रकाश, दौलतराम, महेश कुमार का नाम कलमजन तथा चक नं० 19 एजी के खाता सं० 7/12 व चकनं० 15 एजी के खाता सं० 11 / 12, चकनं० 8 एम. जैड डबल्यू के खाता सं० 11/8, चकनं० 13 डीवीएल के खाता सं० 42/5 में से अजय, नरेश व सलोचना का नाम कलमजन किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का रथगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह डिक्री आज दिनांक 30/01/26 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
टिब्बी जिला हनुमानगढ़